प्रेस नोट दिनांक-02.07.2025

थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

एसटीएफ लखनऊ की बड़ी कामयाबी- ₹50,000/- के इनामी अपराधी शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी गडवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ गिरफ्तार-

अभियुक्त पर ₹50,000/- का पुरस्कार पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र, प्रयागराज द्वारा किया गया था घोषित

इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस व मुखबिर की सूचना के आधार पर चारबाग रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टेन्ड लखनऊ के पास से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ मे हत्या का प्रयास, लूट, मारपीट, धमकी जैसे संगीन अपराध दर्ज है

थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत करैला बाजार में हुयी फायरिंग की घटना में 04 व्यक्तियों को गोली लगने से घायल हो गये थे, जिसमें अभियुक्त लगातार वांछित चल रहा था ।

प्रतापगढ़

दिनांक 16.06.2025 को थाना पट्टी क्षेत्र के करैला बाजार में वादी के भाई एवं चचेरे भाई पर पूर्व विवाद को लेकर शहबाज उर्फ लम्बू, रुकसार, शहरेयार, छंगू, शाहनवाज, जलालुद्दीन, शाहरुख आदि द्वारा एक राय होकर अवैध असलहों से जानलेवा फायरिंग की गई तथा लोहे की रॉड से हमला किया गया। फायरिंग के दौरान बाजार में दो राहगीर - आलोक पटेल एवं आमिर सुहैल को भी गोली लग गई । जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191 (3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 09 नामजद व्यक्तियों व कुछ अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था । पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में नामजद व अज्ञात अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीमें गठित की गईं । गठित टीमों द्वारा तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज एवं खुफिया सूचना के आधार पर संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश जा रही थी। साथ ही, घटना से जुड़े व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग व तलाशी अभियान भी चलाया गया ।

उक्त अभियोग में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में संबंधित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया था। गठित टीमों द्वारा की गई सतत एवं प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप अब तक इससे पूर्व कुल 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा जा चुका है। घटना में संलिप्त अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है तथा उनकी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने के प्रयास प्रचलित हैं।

उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसी क्रम में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक- 19.06.2025 को 25000/- रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था ।

इसी क्रम में पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज, परिक्षेत्र श्री अजय कुमार मिश्र द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कठोर कार्यवाही करते हुए थाना पट्टी के अभियुक्त शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी गडवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध दिनांक- 26.06.2025 को 50000/- रु0 का पुरस्कार घोषित किया गया था।

दिनांक 01.07.2025 को पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ श्री धर्मेश कुमार शाही के कुशल पर्वेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ टीम के उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार चालक हे0का0 त्रिदेव मिश्रा द्वारा मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191 (3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट में वांछित चल रहा 50000/- का इनामिया अभियुक्त शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी गडवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ को चारबाग रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टेन्ड लखनऊ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
1. अभियुक्त शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी गडवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त शाहरुख पुत्र मुख्तार निवासी गडवारी थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 179/25 धारा 191(2), 191 (3), 190, 115(2), 61(2), 109(1), 351(3) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना पट्टी प्रतापगढ़
2. मु0अ0सं0 122/18 धारा 307, 506 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़
3. मु0अ0सं0 207/18 धारा 392, 411 भादवि थाना अंतू प्रतापगढ़
4. मु0अ0सं0 161/25 धारा 115(2), 3(5), 324(4), 351(2) बीएनएस भादवि थाना को0 नगर प्रतापगढ़

एसटीएफ टीम लखनऊ- एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप सिंह, मुख्य आरक्षी रामनिवास शुक्ला, मुख्य आरक्षी राजीव कुमार चालक हे0का0 त्रिदेव मिश्रा ।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

दुष्कर्म, मारपीट व धमकी के अभियोग से सम्बन्धित वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नरई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी श्री सत्येन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 सुबेदार राय मय हमराह का0 विजय चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना संग्रामगढ़ में पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 62, 64, 74, 75, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त मंजीत गौतम पुत्र कल्लू निवासी शुक्लन का पुरवा मजरे नौढिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ उम्र 26 वर्ष को थाना संग्रामगढ़ क्षेत्रान्तर्गत नरई चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मंजीत गौतम पुत्र कल्लू निवासी शुक्लन का पुरवा मजरे नौढिया थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ उम्र 26 वर्ष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
उ0नि0 सुबेदार राय मय हमराह का0 विजय चौहान थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ

 उ0नि0 देवेन्द्र पाठक व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा, बीट आरक्षी अंकित कुमार की सतर्कता से 25000/- रुपये का ईनामिया 01 गैंगस्टर अभियुक्त को किया गिरफ्तार
थाना बाघराय के उ0नि0 देवेन्द्र पाठक व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा, बीट आरक्षी अंकित कुमार ने 25000/- रुपये का ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा
 उ0नि0 देवेन्द्र पाठक व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा, बीट आरक्षी अंकित कुमार ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर
एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना बाघराय के उ0नि0 देवेन्द्र पाठक व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा, बीट आरक्षी अंकित कुमार को दिया जाएगा ईनाम व प्रशस्ति-पत्र
थाना बाघराय पुलिस द्वारा हरबसपुर शारदा सहायक नहर पुलिया के पास से 25000/- रुपये का ईनामिया गैंगस्टर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।
गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त गोवध अधि0, पशु क्रूरता अधि0, गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है-

इसी क्रम में बहादुर उ0नि0 देवेन्द्र पाठक व बीट आरक्षी सौरभ शर्मा, बीट आरक्षी अंकित कुमार के सहयोग से थाना बाघराय पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 26/2025 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट थाना बाघराय, प्रतापगढ़ में वांछित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त बरकत अली पुत्र स्व0 मुनव्वर अली निवासी ग्राम त्रिलोचन महादेव थाना जलालपुर जनपद जौनपुर उम्र करीब 20 वर्ष को कैमूर राज्य बिहार को हरबसपुर शारदा सहायक नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मु0अ0सं0 174/23 धारा 3/5क/8 गोवध नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ ।
02. मु0अ0सं0 26/25 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
थानाध्यक्ष बाघराय श्रवण कुमार मय हमराह उ0नि0 देवेन्द्र कुमार पाठक, का0 अंकित शाहू, का0 सौरभ शर्मा, का0 लोकेश वैशला, का0 अमरजीत मय चालक हे0का0 राजाराम थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना अंतू पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

थाना अंतू पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पश्चिमी अंतू बहेलियापुर रोड से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैस के पर्यवेक्षण व थाना अंतू प्रभारी निरीक्षक श्री आनन्द सिंह भदौरिया के नेतृत्व में उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह कां0 अनिल कुमार, कां0 उपेंद्र कुमार द्वारा दिनांक 02.07.2025 को देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग, विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2), 87, 65(1) बीएनएस व धारा 5(J)(2)/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त, राहुल सरोज पुत्र रामचंद्र सरोज निवासी ग्राम राणा प्रताप नगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत को थानाक्षेत्र के रेलवे क्रॉसिंग पश्चिमी अंतू बहेलियापुर रोड से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. राहुल सरोज पुत्र रामचंद्र सरोज निवासी ग्राम राणा प्रताप नगर थाना हजारा जनपद पीलीभीत ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 शुभनाथ साहनी मय हमराह कां0 अनिल कुमार, कां0 उपेंद्र कुमार थाना अंतू जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

जबरन धर्म परिवर्तन एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरण में वांछित कुल 07 अभियुक्त/ अभियुक्ता की गिरफ्तार — थाना कंधई पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही

प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देश पर शीघ्र ही वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तार की गई।

अभियुक्तों को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत मजिस्ता मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादिनी को उसके गावं हरदत्तपुर(फतेहपुर) थाना कंधई के ही मिराज अली पुत्र मकसूद अली द्वारा बहला-फुसलाकर साथ ले जाकर धर्म परिवर्तन कराते हुए कोर्ट मैरिज कराया गया इसके पश्चाच निकाह कराया गया । विवाह के कुछ समय बाद से पति, ननद, बहनोई, जेठ द्वारा गाली-गलौज, अश्लील हरकतें व जान से मारने की धमकी दी जाने लगी। वादिनी का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने के कारण भेदभावपूर्ण व अपमानजनक व्यवहार किया गया । वादिनी को सास, ससुर मकसूद अली व अन्य के द्वारा भी गाली-गलौज कर धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। जिसके संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/25

धारा 115(2)/352/351(2)/351 (3) 74/87/85/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 बनाम मिराज अली पुत्र मकसूद अली आदि 06 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा उक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए निर्देशित किया गया कि विवेचना निष्पक्ष, पारदर्शी एवं त्वरित रूप से संपन्न कराई जाए तथा प्रकरण से जुड़े समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों का विधिसम्मत परीक्षण किया जाए। वादिनी को समुचित सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए महिला उत्पीड़न एवं जबरन धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। । अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास की भी गहनता से जांच की जाए । उक्त घटना में संलिप्त अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देशित किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द सोनकर मय हमराह म0उ0नि0 शालिनी देवी, का० विकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप सिंह, मय चालक का0 जगजीत सिंह द्वारा सदिग्ध व्यक्ति, सदिग्ध वाहन की चेकिंग शान्ति व्यवस्था ड्यूटी व भूमि विवाद निस्तारण लूट व नकबजनी के अपराधियो का सत्यापन व भ्रमण त्यौहार मोहर्रम के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई पर मु0अ0सं0 155/25 धारा 115(2)/352/351(2)/351(3)74/87/85/61(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधि0 से संबंधित 07 अभियुक्त/ अभियुक्ता, 1. मिराज पुत्र मकसूद अली उम्र करीब 22 वर्ष, 2. फिरोज पुत्र मकसूद अली उम्र करीब 26 वर्ष, 3. मकसूद अली पुत्र हनीफ मिया उम्र करीब 55 वर्ष, 4. समीम पुत्र स्व0 अतहर अली निवासी दोहरी तकिया (मौलवी) थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 41 वर्ष, 5. इसराल पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ग्राम भाई थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर उम्र 42 वर्ष, 6. अकरम पुत्र मंसूर अली निवासी सेतापुर थाना कन्धई अंतू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष, 7. अभियुक्ता निवासिनी ग्राम हरदतपुर (फतेहपुर) थाना कधई प्रतापगढ को थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत मजिस्ता मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त मिराज उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि मैं वादिनी से कोर्ट मैरिज कर लिया है और सुल्तानपुर में अपने मांमा के घर पर दिनांक 25.05.2025 को निकाह फातिहा पढ़वाया था । वह मेरा मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर रही थी इसलिए मैंने उसे डांटा था।

फिरोज उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मिराज और उसकी पत्नी घर से भाग कर शादी कर लिए हैं । कोर्ट में शादी में मैं भी गवाह हूं। इन लोगों का निकाहनामा हुआ है किंतु मेरे पास इसका कागज नहीं है । मकसूद पुत्र हनीफ मियां और उनकी पत्नी द्वारा एक साथ बताया गया कि मेरा लड़का मिराज ने वादिनी यीशु गौतम से कोर्ट में शादी कर लिया है । धर्म बदलने को लेकर आए दिन आपस में विवाद करते रहते थे । जब वादिनी अपने पति मिराज से लड़कर झगड़कर मेरे पास आई तो मैं भी अपने घर से भगा दिया।

इसराइल उपरोक्त ने बताया कि मेरे घर पर मई 2025 में कार्यक्रम था, जहां सभी रिश्तेदार इकट्ठा थे वहीं पर मिराज अपनी पत्नी को लेकर मेरे घर आया था । उसी समय निकाह फतिया पढ़ा गया था। मुझे पता चला कि यह दोनों कोर्ट मैरिज कर चुके हैं ।

शमीम उपरोक्त ने बताया कि माह मई में 2025 में इसराइल के घर सुल्तानपुर में मेरे द्वारा जाकर मिराज और वादिनी का निकाह पढ़वाया गया था। अकरम पुत्र मंसूर अली ने बताया कि मेरे मामा के घर सुल्तानपुर में जब मिराज और वादिनी का निकाह हो रहा था तो मौके पर मैं भी मौजूद था और मेरा साड़ू हैदर अली व उनकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थी।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. मिराज पुत्र मकसूद अली उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम हरदतपुर (फतेहपुर) थाना कधई प्रतापगढ ।
2. फिरोज पुत्र मकसूद अली उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम हरदतपुर (फतेहपुर) थाना कधई प्रतापगढ ।
3. मकसूद अली पुत्र हनीफ मिया उम्र करीब 55 वर्ष निवासी ग्राम हरदतपुर (फतेहपुर) थाना कधई प्रतापगढ ।
4. समीम पुत्र स्व0 अतहर अली निवासी दोहरी तकिया (मौलवी) थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 41 वर्ष।
5. इसराइल पुत्र अब्दुल रसीद निवासी ग्राम भाई थाना धम्मौर जनपद सुल्तानपुर उम्र 42 वर्ष ।
6. अकरम पुत्र मंसूर अली निवासी सेतापुर थाना कन्धई अंतू जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 28 वर्ष ।
7. अभियुक्ता निवासिनी ग्राम हरदतपुर (फतेहपुर) थाना कधई प्रतापगढ ।

पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक गुलाबचन्द सोनकर मय हमराह म0उ0नि0 शालिनी देवी, का० विकेश मिश्रा, का0 अमित प्रताप सिंह, मय चालक का0 जगजीत सिंह थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

बयान-

जनपद में जबरन धर्म परिवर्तन, महिला उत्पीड़न एवं सामाजिक सौहार्द को भंग करने वाले तत्वों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त एवं विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। उक्त प्रकरण की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी कर ली गई है एवं प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी व त्वरित विवेचना की जा रही है। किसी भी महिला के सम्मान व सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। जनपद में कानून का शासन सर्वोपरि है तथा कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आमजन से अपेक्षा है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, कानून का पालन करें एवं किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें।